

आउटकम / परफॉरमेन्स बजट 2023–24

विभाग का नामः— उद्योग विभाग

(धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रु० में)		1-4-2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3. 2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकलिप्त (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2023-24	परिकलिप्त (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2023-24	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि							
			राजस्व	पूँजीगत												
राज्य सैक्टर (2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण)																
1. 001—निदेशन एवं प्रशासन 03—राजकीय मुद्रणालय, रुड़की अधिकारी 03—राजकीय मुद्रणालय, रुड़की अधिकारी																
1.	001—निदेशन एवं प्रशासन 03—राजकीय मुद्रणालय, रुड़की अधिकारी	कार्मिक के वेतन, मानदेय, अन्य भत्ते एवं संचालन व्यय इत्यादि	1305.00	0	87	356	356 कार्मिकों के वेतन, मानदेय, अन्य भत्ते एवं संचालन व्यय आदि।	कार्मिकों के वेतन, मानदेय, अन्य भत्ते एवं संचालन व्यय आदि।	वर्षान्त तक							
2.	104—निदेशक एवं प्रशासन 42—अन्य व्यय	समस्त राजकीय मुद्रण, गजट, निर्वाचन सामग्री, आदि का प्रकाशन।	30.00	0	0	0	समस्त राजकीय मुद्रण, गजट, निर्वाचन सामग्री, आदि का प्रकाशन।	समस्त राजकीय मुद्रण, गजट, निर्वाचन सामग्री, आदि का प्रकाशन।	वर्षान्त तक							
	योग:-		1335.00	0	87	356										
राज्य सैक्टर (2851—ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 101—औद्योगिक विकास)																
3. 04—मेगा इण्डस्ट्रियल /मेगा टैक्स्टाईल नीति के तहत अनुदान																
3.	04—मेगा इण्डस्ट्रियल /मेगा टैक्स्टाईल नीति के तहत अनुदान	भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न टैक्स्टाईल उद्योग प्रोत्साहन योजनाओं का अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य में टैक्स्टाईल उपकरणों को आकर्षित एवं प्रोत्साहन योजना का प्रभावी क्रियान्वयन।	3000.00	0	15	15	15 इकाईयों को नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ दिया जायेगा।	1—टैक्स्टाईल / औद्योगिक उपकरणों का विकास 2—प्रदेश के पूँजी निवेश में अभिवृद्धि करना 3— रोजगार सृजन	वर्षान्त तक							
4.	05—स्वतंत्र विषेशज्ञों की सुलह समिति (कार्यालय / सचिवालय) 56—सहायक अनुदान—सामान्य(गैर वेतन)	प्रदेश में सिड्कुल एवं विभिन्न सरकारी संस्थाओं तथा निजी निवेशकर्ताओं / उद्योगपतियों / ठेकेदारों के मध्य वित्तीय विवाद के निपटान हेतु अनुकूल वातावरण सृजन।	50.00	0	0	6	6 वित्तीय विवादों का सुलह के माध्यम से निस्तारण।	1—न्यायालयी विवाद न्यून 2—समयबद्ध निस्तारण	वर्षान्त तक							
	योग(101):-		3050.00	0	15	21										

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रु० में)		1-4-2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3. 2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2023-24	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2023-24	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
राज्य सैक्टर (2851—ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 102—लघु उद्योग)									
5.	लघु उद्योगों की गणना योजना (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित)	पंचम अखिल भारतीय गणना हेतु लगाये गये मानव संसाधन का मानदेय।	0	0	0	0	भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार स्थापित उद्यमों की अखिल भारतीय गणना हेतु लगाये गये मानव संसाधन का मानदेय।	चालू योजनाओं में आवश्यकतानुरूप संशोधन एवं नई नीतियों का क्रियान्वयन।	वर्षान्त तक
6.	03—अधिष्ठान व्यय—उद्योग विभाग	प्रदेश एवं जनपद स्तर पर कार्यरत अधिकारियों एवं कार्मिकों के वेतन तथा कार्यालय अधिष्ठान एवं संचालन व्यय।	2396.00	0	220	584	584 कार्मिकों के वेतन, मानदेय, अन्य भत्ते एवं संचालन व्यय आदि।	उद्योगों की स्थापना / विकास एवं रोजगार सृजन हेतु निदेशालय / जनपद स्तर पर उपलब्ध अधिकारियों एवं कार्मिकों के वेतन तथा कार्यालय अधिष्ठान एवं संचालन व्यय।	वर्षान्त तक
7.	18—उत्तराखण्ड अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं पर्यटन कार्यालय की स्थापना	पारम्परिक भारत-चीन व्यापार को बढ़ावा देते हुये व्यापार के नये अवसर प्रदान करना।	0.11	0	0	0	कार्मिकों के वेतन, मानदेय, अन्य भत्ते एवं संचालन व्यय आदि।	1—पारम्परिक भारत-चीन व्यापार को बढ़ावा। 2—व्यापार के नये अवसर	वर्षान्त तक
8.	राज्य उद्योग मित्र एवं उद्यमिता विकास परिषद को सहायता।	जिला एवं राज्य स्तरीय उद्योग मित्र के माध्यम से उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण।	25.00	0	35	72	जनपद स्तर पर गठित प्राधिकृत समिति द्वारा 72 बैठकें आयोजित की जायेंगी।	1—उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन। 2—समयबद्ध निरस्तारण 3—राज्य में निवेश हेतु बेहतर वातावरण	वर्षान्त तक
9.	उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना	संरक्षण की स्थापना कर जनपद स्तर पर बेरोजगार नवयुवक एवं नवयुवतियों को उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण देते हुये स्वरोजगार हेतु प्रेरित करना।	0	0	0	0	—	भावी उद्यमियों को उद्यम स्थापना हेतु समर्त जानकारी के साथ-साथ जोखिम वहन हेतु सक्षम बनाना।	वर्षान्त तक
10.	कलस्टर विकास योजना	प्रदेश के जनपदों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास कर कलस्टर के रूप में उद्यमों की स्थापना	50.00	0	5	8	पर्वतीय जनपदों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास द्वारा 3 कलस्टर	1—नियोजित औद्योगिकीकरण 2—पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यम	वर्षान्त तक

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रु० में)		1-4-2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3. 2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2023-24	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2023-24	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि	
			राजस्व	पूँजीगत						
		द्वारा पूँजी निवेश प्रोत्साहन एवं स्वरोजगार के साथ-साथ रोजगार सृजन के अवसर पैदा करना।					विकासित किये जायेंगे।	स्थापना के माध्यम से पूँजी निवेश प्रोत्साहन, रोजगार सृजन एवं पलायन पर रोक। 3-उद्यमिता विकास।		
11.	राज्य के दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों के औद्योगिक विकास हेतु वित्तीय प्रोत्साहन नीति।	पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित उद्यम तथा नये उद्यम स्थापना हेतु प्रोत्साहित कर रोजगार के अवसरों में वृद्धि कर पलायन की रोकथाम।	300.00	0	0	0	नीति के अधीन प्राविधानित वित्तीय प्रोत्साहनों के रूप में दिया जाना।	1-नियोजित औद्योगिकीकरण 2-पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यम स्थापना के माध्यम से पूँजी निवेश प्रोत्साहन, रोजगार सृजन एवं पलायन पर रोक। 3-उद्यमिता विकास।	वर्षान्त तक	
12.	मुख्य निवेश आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली का अधिष्ठान	केन्द्र सरकार की नीतियों एवं निर्देशों के अनुसार केन्द्र सरकार से समन्वय करते हुये विभागीय योजनाओं की समीक्षा करना।	40.96	0	12	12 कार्मिकों का अधिष्ठान एवं संचालन व्यय।	केन्द्र सरकार से आवश्यक समन्वय।		वर्षान्त तक	
13.	उत्तराखण्ड माटी कला परिषद को सहायता	प्रदेश में कुम्हारी एवं मिट्टी का कार्य करने वाले शिल्पियों को तकनीकी कौशल, उन्नत उपकरण एवं विपणन आदि के माध्यम से कुटीर उद्यमी के रूप में विकसित कर उन्हें विपणन हेतु बाजार उपलब्ध कराना।	20.00	0	0	0	माटी कला शिल्पियों को विद्युत चालित चाक/मिट्टी गुंथाई मशीन वितरण।	1-प्रदेश में कुम्हारी एवं मिट्टी का कार्य करने वाले शिल्पियों को तकनीकी कौशल, उन्नत उपकरण एवं विपणन आदि के माध्यम से कुटीर उद्यमी के रूप में विकसित करना। 2-बाजार आधारित विकास	वर्षान्त तक	
14.	एमएसएमई अवस्थापना विकास निधि	औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु।	50.00	0	2	2	एक औद्योगिक आस्थान का सुदृढ़ीकरण	1-औद्योगिक आस्थान में अवस्थापना विकास 2-लघु उद्योगों की स्थापना 3-रोजगार सृजन		वर्षान्त तक
15.	महिला उद्यमियों के लिये विशेष प्रोत्साहन योजना	नीति के अन्तर्गत प्रदेश में महिला उद्यमिता के विकास हेतु पूँजी निवेश प्रोत्साहित कर रोजगार	500.00	0	93	212	नीति के अन्तर्गत 212 महिला उद्यमियों को प्राविधानित वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध	प्रदेश में महिला उद्यमिता के माध्यम से पूँजी निवेश को प्रोत्साहन, रोजगार	वर्षान्त तक	

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रु० में)		1-4-2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3. 2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2023-24	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2023-24	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
		सृजन एवं पलायन पर रोक।					कराये जायेंगे।	सृजन एवं पलायन पर रोक।	
16.	प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता योजना	प्रदेश में समुचित औद्योगिक विकास का वातावरण तैयार कर उद्यम स्थापना कर रोजगार के अवसरों में वृद्धि के साथ—साथ पलायन पर रोक लगाने के उद्देश्य से स्थापित उद्यमों को प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान सुविधायें उपलब्ध कराना।	5000.00	0	233	432	नीति के अन्तर्गत स्थापित 432 उद्यमों को वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराये जायेंगे।	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों की स्थापना से पूँजी निवेश में वृद्धि के साथ—साथ रोजगार के अवसरों में वृद्धि तथा पलायन पर रोक।	वर्षान्त तक
17.	कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण योजना	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, हथकरघा, हस्तशिल्प एवं खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र में उद्यमरत अथवा सम्भाव्य उद्यमियों को उनकी निष्पादन क्षमता में बृद्धि करना तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, हथकरघा, हस्तशिल्प एवं खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी एवं बाजार मॉग के अनुरूप विकसित किये जाने के लिये उद्यमियों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण।	0	0	0	0	विभिन्न ट्रेडों में युवाओं को प्रशिक्षित करते हुये स्वरोजगार/ रोजगार से जोड़ा जायेगा।	तकनीकी दक्षता प्रदान करते हुये स्वरोजगार/ रोजगार की उपलब्धता।	वर्षान्त तक
18.	एमएसएमई परियोजना प्रबन्धन इकाई (पीएमयू) की स्थापना	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के उद्यमियों को क्लस्टर विकास, विपणन, कौशल विकास, तकनीकी सहायता, वित्तीय / ऋण प्रबन्धन एवं गुणवत्ता नियंत्रण आदि के लिये मार्गदर्शन/परामर्श हेतु विभागीय स्तर पर विशेषज्ञता प्राप्त परामर्शदाताओं को मानदेय पर नियुक्त कर एमएसएमई परियोजना प्रबन्धन इकाई गठित की गई है।	0	0	0	0	बैंकिंग एवं वित्त, निर्यात, विपणन, डिजाइन एवं टैक्सटाईल विशेषज्ञों के माध्यम से राज्य के अनुकूल नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन।	प्रदेश के अप्रयुक्त संसाधनों का उचित प्रयोग, निर्मित उत्पाद हेतु विपणन के उचित अवसर, उत्पादों के उत्पादन में उन्नत डिजाइनों का समावेश तथा बैंक लिंकेज हेतु एक ही स्थान पर सुविधा उपलब्ध होने से प्रदेश के औद्योगिक विकास में वृद्धि होगी।	वर्षान्त तक
19.	स्टार्टअप एण्ड स्टैप्डअप उद्यमिता विकास योजना	भारत सरकार द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के अनुरूप अनुमोदित परियोजनाओं में राज्य	0.01	0	128	144	200 स्टार्टअप तैयार करना।	1—प्रदेश के तकनीकी रूप से दक्ष मानव संसाधन को प्रदेश में ही निवेश	वर्षान्त तक

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रु० में)		1-4-2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3. 2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2023-24	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2023-24	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
		के युवाओं को टॉपअप/वाईविलिटी गैप फिल्डिंग के लिये योजनान्तर्गत नीति में प्रदत्त प्रोत्साहनों के साथ-साथ स्टैण्डअप लोन, टॉपअप, वाईविलिटी गैप फिल्डिंग आदि के द्वारा राज्य के युवाओं को अभिनव उद्यमों की स्थापना हेतु प्रोत्साहित करना तथा टैक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेसन केन्द्र की स्थापना।					अनुकूल वातावरण प्रदान करना। 2—प्रक्रिया एवं उत्पाद के स्तर पर नवोनमेषी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।		
20.	औद्योगिक मेले, प्रदर्शनी, गोष्ठी, सेमीनार व प्रचार-प्रसार	प्रदेश में स्थापित उद्यमों तथा हस्तशिल्पियों द्वारा उत्पादित उत्पादों के विपणन हेतु प्रचार-प्रसार तथा बाजार उपलब्ध कराकर उनकी आय में वृद्धि करना।	300.00	0	73	82	3 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले, 24 राष्ट्रीय व्यापार मेले तथा 28 जनपद स्तरीय मेले एवं भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ राज्य सरकारों द्वारा 18 सेमीनार आयोजित किये जायेंगे।	1—विपणन प्रोत्साहन 2—योजनाओं/कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार 3—उद्यमिता के वातावरण के सृजन हेतु अभिप्रणा का विकास	वर्षान्त तक
21.	उद्यमियों को प्रोत्साहन हेतु पुरुष्कार योजना	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा हथकरघा/ हस्तशिल्पियों द्वारा उत्पादित उत्पादों में गुणवत्ता वृद्धि तथा उनके शिल्प को प्रोत्साहित करना।	6.00	0	87	87	प्रदेश स्तर पर 9 उद्यमियों एवं शिल्पियों तथा जनपद स्तर पर 78 उद्यमियों एवं शिल्पियों को पुरस्कृत किया जायेगा।	1—उत्पादों की गुणवत्ता में अभिवृद्धि 2—उत्पाद के साथ-साथ उद्यमी/शिल्पी/ बुनकर का प्रचार-प्रसार 3—उद्यमी/शिल्पी/बुनकर की मान्यता	वर्षान्त तक
22.	ईज आफ डूझ्ग बिजनेस	योजना का उद्देश्य प्रदेश में निवेश के अनुकूल वातावरण सृजन तथा उद्यम स्थापना हेतु प्राप्त की जाने वाली समस्त अनुज्ञाओं/ अनापत्तियों/स्पीकृतियों के त्वरित निस्तारण हेतु राज्य सरकार के अधीन समस्त रेखीय विभागों के मध्य औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित बिन्दुओं के अनुरूप कार्यवाही किये जाने हेतु	0.01	0	301	352	योजनान्तर्गत राज्यों हेतु निर्धारित कार्य विन्चुओं (Action Points) पर 14 परामर्शदाताओं की सेवायें लेते हुये कियान्वयन।	1—निवेश को आकर्षित करना 2—अन्य राज्यों से प्रतिस्पर्धा 3—रोजगार के अवसर 4—पलायन पर रोक	वर्षान्त तक

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रु० में)		1-4-2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3. 2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2023-24	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2023-24	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
		समन्वय करना।							
23.	अन्तर्राष्ट्रीय विनिवेश मेला	राज्य में विकास एवं रोजगार के अवसर सृजित किये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड राज्य में उद्यमियों को आकर्षित करने हेतु निवेशक सम्मेलन “Destination Uttarakhand” का आयोजन।	0.01	0	0	0	-	1-निवेश को आकर्षित करना 2-योजनाओं/कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार 3-रोजगार के अवसर सृजित करना	वर्षान्त तक
24.	सेवा क्षेत्र की इकाईयों को प्रोत्साहन	प्रदेश की आर्थिकी में सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है और इसमें रोजगार सृजन की अपार सम्भावनायें हैं। “वर्सु एवं सेवा कर अधिनियम(जीएसटी)” के लागू होने के पश्चात् राज्य के राजस्व को बढ़ाने की दिशा में सेवा क्षेत्र का और भी अधिक महत्व बढ़ गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित विजन-2020 में सेवा क्षेत्र में एक लाख व्यक्तियों को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।	0	0	0	0	सेवा क्षेत्र की इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहन।	1-जीएसटी को प्रोत्साहन 2-सेवा क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देना	वर्षान्त तक
25.	ग्रोथ सेन्टर की स्थापना	ग्रोथ सेन्टर की स्थापना हेतु।	0	0	112	112	112 स्थापित ग्रोथ सेन्टर का कुशलतापूर्वक संचालन।	1-प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यमिता प्रोत्साहन 2-पलायन पर रोक 3-रोजगार सृजन	वर्षान्त तक
26.	विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों को अनुदान आदि हेतु।	विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों को अनुदान आदि हेतु।	2600.00	0	0	0	निवेशक सम्मेलन के दौरान प्रख्यापित विभिन्न नीतियों में प्राविधानित प्रोत्साहन।	1-पूँजी निवेश आकर्षित करना। 2-रोजगार सृजन। 3-प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करना।	वर्षान्त तक
27.	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	कोविड-19 के पश्चात् विभिन्न देशों/प्रदेशों से लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करना।	4000.00	0	4874	6000	नीति के अन्तर्गत 6000 विनिर्माण /सेवा/व्यवसाय की स्थापना हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा	1-स्वरोजगार सृजन। 2-प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करना। 3-पलायन पर रोक	वर्षान्त तक

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रु० में)		1-4-2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3. 2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2023-24	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2023-24	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
							उपलब्ध कराकर मार्जिन मनी के रूप में अनुदान देना।		
28.	51—नियर्त नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन		200.00	0	0	0			
29.	52—प्रधानमंत्री राष्ट्रीय गति शक्ति कार्यक्रम योजना 56—सहायक अनुदान—सामान्य (गैर वेतन)	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अन्तर्गत राज्य की परिसम्पत्तियों की जीआईएस मैपिंग कराकर गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड किये जाने की कार्यवाही।	2500.00	0	0	0			
30.	53—प्रमोशन आफ इंवेस्टमेंट, स्टार्टअप और इंटरप्रीन्योरशिप योजना (नई योजना) 56—सहायक अनुदान—सामान्य (गैर वेतन)		3000.00	0	0	0			
31.	एमएसएमई की केन्द्रपोषित योजनाओं में राज्यांश हेतु।	एमएसएमई की केन्द्रपोषित योजनाओं में राज्यांश हेतु।	0.01	0	0	0	केन्द्रपोषित योजनाओं में राज्यांश	केन्द्रपोषित योजनाओं में राज्यांश	वर्षान्त तक
32.	9701—वाह्य सहायतित परियोजनाएँ		0	0	0	0	—	—	वर्षान्त तक
	योग:-		20988.11	0	6175	8099			

राज्य सैकटर
(2851—ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 103—हथकरघा)

33.	उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद को सहायता।	प्रदेश के हथकरघा, हस्तशिल्पियों के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न प्रचार-प्रसार व मार्केटिंग की सुविधा प्रदान करना।	200.00	0	1	1	कार्यक्रम के अधीन राज्य के शिल्पियों एवं बुनकरों को उन्नत तकनीक एवं डिजाइन समावेश पर दक्ष किया जाना। विभिन्न मेलों एवं प्रदर्शनियों के द्वारा प्रदेश के शिल्पियों एवं बुनकरों को विपणन सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।	1—डिजाइन / उत्पाद विकास 2—शिल्पों का संवर्द्धन 3—क्रेडिट लिंकेज 4—विपणन सहायता 5—स्वरोजगार के अवसर 6—पर्यटन से लिंकेज	वर्षान्त तक
-----	--	--	--------	---	---	---	---	--	-------------

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रु० में)		1-4-2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3. 2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2023-24	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2023-24	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
34.	नन्दा देवी योजना	प्राकृतिक रेशा एवं हथकरघा क्षेत्र पर आधारित उत्पादों के विकास एवं विपणन के साथ-साथ हथकरघा बुनकरों के उद्यमिता विकास एवं उत्कृष्ट प्रशिक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से ग्राम-मटेना, जनपद-अल्मोड़ा में नन्दा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना।	0	0	0	0	वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के विकास आयुक्त(हथकरघा) की योजनाओं के माध्यम से संचालन।	प्राकृतिक रेशा एवं हथकरघा क्षेत्र पर आधारित उत्पादों के विकास एवं विपणन के माध्यम से स्वरोजगार एवं पलायन पर रोक।	वर्षान्त तक
35.	खादी संस्थाओं को सहयोग		0.01	0	0	0			
36.	शिल्पियों हेतु पेंशन योजना	राज्य में हस्तशिल्प की प्राचीन धरोहर एवं विभिन्न शिल्पों के संरक्षण, संवर्द्धन एवं प्रोत्साहन।	15.00	0	313	313	शिल्पियों को रु० 400/- प्रतिमाह प्रति शिल्पी सम्मान स्वरूप प्रदान करना।	हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में रोजगार के अवसर हेतु लोगों को प्रोत्साहन, परम्परागत धरोहर का संरक्षण एवं उन्नयन।	वर्षान्त तक
37.	समाज के निर्धन कर्मकारों हेतु बुनकर/शिल्पकार विकास योजना	प्रदेश के 10 ब्लॉकों के शिल्पियों को, जिनमें महिलायें भी शामिल हैं, को सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना, डिजाइन विकास, बैंक लिंकेज, प्रचार-प्रसार आदि के माध्यम से स्वावलम्बी बनाना।	0	0	0	0	योजना लागू नहीं।	1-शिल्पियों विशेषतः महिलाओं में स्वावलम्बन की भावना विकसित करना। 2-प्रदेश की आर्थिकी में महिलाओं की भूमिका का उचित चित्रण करना। 3-विपणन विकास 4-केंडिट लिंकेज 5-स्वरोजगार सृजित करना	वर्षान्त तक
38.	उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरुषकार	प्रदेश के परम्परागत शिल्प कला के संरक्षण, संवर्द्धन एवं प्रोत्साहन हेतु पारम्परिक कला, संस्कृति की परम्परा को अक्षुण्ण बनाये रखने एवं शिल्पियों की कल्पनाशील, योग्यता तथा कारीगरी को प्रोत्साहित करने एवं शिल्प क्षेत्र में	15.00	0	4	5	प्रदेश के विभिन्न जनपदों से विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ 5 शिल्पियों का चयन करते हुये पुरस्कार राशि के रूप में एक लाख रुपये धनराशि, प्रतीक चिन्ह, अंगवस्त्र एवं प्रशस्ति।	राज्य की परम्परागत कला एवं संस्कृति को संरक्षित करते हुये उसके संवर्द्धन हेतु नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।	वर्षान्त तक

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रु० में)		1-4-2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3. 2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2023-24	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2023-24	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
		विशिष्ट योगदान देने वाले शिल्पियों को समुचित सम्मान दिये जाने के उद्देश्य से विशिष्ट शिल्पियों को चयनित कर पुरस्कार राशि के रूप में एक लाख रुपये धनराशि, प्रतीक चिन्ह, अंगवस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जाते हैं।							
39.	हथकरघा कताई-बुनाई महिला कमकारों को सहायता	हथकरघा क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं को करघे उपलब्ध करवाकर स्वरोजगार की ओर प्रेरित करते हुये उनकी वाणिज्यिक एवं आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।	0	0	0	0	-	-	वर्षान्त तक
40.	राजकीय डिजाईन केन्द्र, काशीपुर का सुधारीकरण एवं एपरेल प्रशिक्षण योजना	राजकीय डिजाईन केन्द्र, काशीपुर के समुचित उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड के युवाओं को Appreal, Embroidary एवं निटवियर के ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र के रूप में स्थापित किये जाने हेतु केन्द्र का सुधारीकरण।	0	0	1	1	-	1—युवाओं को एपरेल, इम्ब्राईडरी एवं निटवियर के ट्रेड में प्रशिक्षण 2—इस केन्द्र को प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र के रूप में स्थापित करना 3—रोजगार सृजन	वर्षान्त तक
41.	18—वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की योजनाओं में राज्यांश	वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की योजनाओं में राज्यांश	0	0	0	0	-	-	
		योग:-	230.01	0	319	320			
राज्य सैकटर (2851—ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 105—खादी ग्रामोद्योग)									
42.	खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद को सहायता (वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान)	खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्मिकों के वेतन भत्ते एवं खादी व्यय हेतु।	900.00	0	248	248	248 कार्मिकों के वेतन भत्ते एवं कार्यालय संचालन।	कार्मिकों के वेतन भत्ते एवं कार्यालय संचालन।	वर्षान्त तक

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रु० में)		1-4-2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3. 2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2023-24	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2023-24	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
43.	खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद को सहायता	कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं का प्रचार-प्रसार कर प्रदेश में उत्पादित खादी वस्तुओं के विपणन प्रोत्साहन व प्रशिक्षण।	410.00	0	25	25	25 कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों की योजनाओं का प्रचार-प्रसार, खादी एवं ग्रामोद्योग की 25 प्रदर्शनियों में प्रदेश में उत्पादित खादी वस्तुओं का विपणन व प्रोत्साहन तथा 8 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 150 लोगों में कौशल विकास।	1-खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा उत्पादित वस्त्रों के प्रति लोगों को आर्कषित करना 2-केंडिट लिंकेज 3-स्वरोजगार	वर्षान्त तक
44.	खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट	खादी संस्थाओं द्वारा उत्पादित उत्पादों का अधिकाधिक उपयोग करने हेतु खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट प्रदान करना।	500.00	0	60	60	60 संस्थाओं के प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्थापित 200 बिक्री केन्द्रों में हुई बिक्री के सापेक्ष 10 प्रतिशत छूट की प्रतिपूर्ति के रूप में व्यय किया जायेगा।	1-खादी वस्त्रोद्योग को बढ़ावा 2-खादी क्षेत्र में रोजगार सृजन 3-केंडिट लिंकेज 4-विपणन प्रोत्साहन	वर्षान्त तक
योग(105):-			1810.00	0	333	333			

राज्य सैकटर
(2853-भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, देहरादून)

45.	2853-अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, 001-निदशन तथा प्रशासन 03- खनिज प्रशासन का अधिष्ठान	प्रदेश एवं जनपद स्तर पर कार्यरत अधिकारियों एवं कार्मिकों के वेतन तथा कार्यालय अधिष्ठान एवं संचालन व्यय।	2591.51	0	183	183	अधिष्ठान के मुख्यालय तथा जिलास्तर पर स्थापित कार्यालयों में कार्यरत 183 कार्मिकों का अधिष्ठान संचालन पर व्यय।	अधिष्ठान के मुख्यालय तथा जिलास्तर पर स्थापित कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों का अधिष्ठान संचालन पर व्यय	वर्षान्त तक
46.	04-राज्य खनिज विकास परिषद	परिषद के संचालन में व्यय कार्य हेतु।	20.00	0	1	1	परिषद के मात्र अध्यक्ष को अनुमन्य सुविधाओं पर व्यय तथा राज्य खनिज विकास परिषद के संचालन व्यय।	राज्य खनिज विकास परिषद के कार्यों का सम्पादन।	वर्षान्त तक
47.	102-खनिज खोज 03-पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन व प्रबन्ध योजना	नये उपखनिज क्षेत्रों में ई0आई0ए० कराया जाना तथा आवंटित खनन क्षेत्रों में मॉनिटरिंग कार्य।	15.00	0	0	0	राजस्व एवं वन क्षेत्र में उपलब्ध अधिक से अधिक उपखनिज क्षेत्रों की खोज / चिन्हित तथा	राजस्व एवं वन क्षेत्र में उपलब्ध अधिक से अधिक उपखनिज क्षेत्रों की खोज / चिन्हित करण।	वर्षान्त तक

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रु० में)		1-4-2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3. 2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2023-24	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2023-24	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
							आवश्यकतानुसार खनिज क्षेत्रों में पर्यावरणीय अध्ययन कराया जाना।		
48.	102—खनिज खोज 04—खनन सर्विलांश	खनन क्षेत्रों में अवैध खनन/परिवहन की रोकथाम करने तथा अपेक्षित राजस्व वृद्धि के लक्ष्यों की प्राप्ति।	2057.50	0	0	0	खनिज परिवहन/खनन सर्विलांश हेतु प्रचलित ई—रवना वैब एस्लीकेशन के उच्चीकरण/ संदृढ़ीकरण के अतिरिक्त खनन कार्यकलापों की समस्त प्रक्रियायं ऑनलाइन किये जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है।	अवैध खनन/अवैध परिवहन एवं अवैध भण्डारण की रोकथाम हेतु खनिज परिवहन/खनन सर्विलांश हेतु प्रचलित ई—रवना वैब एस्लीकेशन के उच्चीकरण/ क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।	वर्षान्त तक
		योग:-	4684.01	0	184	184			
49.	4851—102—सेन्ट्रल इन्सटीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी (एनोपी०बी०सहित)	प्रदेश तथा अन्य आस—पास के क्षेत्रों में स्थापित तथा नये प्लास्टिक उद्योगों में प्रोसेसिंग/CAD/CAM परीक्षण, निरीक्षण की सुविधा हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।	0	0	1	1	एक केन्द्रीय संस्थान की स्थापना।	प्रतिवर्ष 1500 युवाओं को प्लास्टिक प्रोसेसिंग टैक्नोलॉजी, प्लास्टिक रिसाइकिलिंग, बेसिक मशीनिंग, प्लास्टिक प्रोडक्ट एण्ड मोल्ड डिजाइन, मोल्ड मैन्यूफैक्चरिंग, कम्प्यूटर हार्डवेयर एण्ड नेटवर्किंग, इलैक्ट्रिकल मेन्टेनेन्स, एडवांश मशीन मेन्टेनेन्स एण्ड इण्डस्ट्रियल ऑटोमेशन, पीण्णेलण्डीण, हाइड्रोलिक्स, पैन्यूमेडिक्स, वैल्डिंग एण्ड फैब्रीकेशन टैक्नोलॉजी आदि में, विशेष रूप से डिजाइन कोर्सेज के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करेगा।	वर्षान्त तक

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रु० में)		1-4-2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3. 2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2023-24	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2023-24	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
50.	10—नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ फैशन टैक्नोलॉजी की स्थापना	उत्तराखण्ड तथा आस—पास के क्षेत्रों के बेरोजगारों/रोजगार में लगे हुए युवाओं को रोजगारपरक कौशल विकास प्रशिक्षण की सुविधा देहरादून में ही उपलब्ध हो सके। प्रस्तावित यह केन्द्र प्रतिवर्ष 600 युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में, विशेष रूप से फैशन टैक्नोलॉजी कोर्सेज के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कराया जाना।	0	0	0	0	बेरोजगारों/रोजगार में लगे हुए युवाओं को रोजगारपरक कौशल विकास प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान कराना।	बेरोजगारों/रोजगार में लगे हुए युवाओं को रोजगारपरक कौशल विकास प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान कराना।	
51.	11—ग्रोथ सेन्टर का संचालन	प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यमिता प्रोत्साहन एवं पलायन को रोकने के साथ—साथ रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना।	0	100.00	112	112	112 स्थापित ग्रोथ सेन्टर का संचालन।	1—प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यमिता प्रोत्साहन 2—पलायन पर रोक 3—रोजगार सुरक्षा	वर्षान्त तक
52.	4851—102—सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी (एन०पी०बी०सहित)	प्रदेश तथा अन्य आस—पास के क्षेत्रों में स्थापित तथा नये प्लास्टिक उद्योगों में प्रोसेसिंग /CAD/CAM परीक्षण, निरीक्षण की सुविधा हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।	0	1000.00	1	1	एक केन्द्रीय संस्थान की स्थापना।	प्रतिवर्ष 1500 युवाओं को प्लास्टिक प्रोसेसिंग टैक्नोलॉजी, प्लास्टिक रिसाइकिलंग, बेसिक मशीनिंग, प्लास्टिक प्रोडक्ट एण्ड मोल्ड डिजाइन, मोल्ड मैन्यूफैक्चरिंग, कम्प्यूटर हार्डवेयर एण्ड नेटवर्किंग, इलैक्ट्रिकल मेन्टेनेन्स, एडवांस मशीन मेन्टेनेन्स एण्ड इण्डस्ट्रियल ऑटोमेशन, पीणेलप्सीण, हाइड्रोलिक्स, पैन्यूमेडिक्स, वैल्डिंग एण्ड फैब्रीकेशन टैक्नोलॉजी आदि में, विशेष रूप से डिजाइन कोर्सेज के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करेगा।	वर्षान्त तक
53.	9701—वाह्य सहायतित परियोजनायें		0	0	0	0	—	—	—

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट (लाख रु० में)		1-4-2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3. 2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2023-24	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2023-24	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
54.	9801—नाबार्ड की आरआईडीएफ योजनान्तर्गत ग्रामीण हाट का निर्माण	प्रदेश के एमएसएमई उत्पादों व हथकरघा / हस्तशिल्पियों द्वारा उत्पादित उत्पादों को विपणन के अवसर उपलब्ध कराते हुये आय मे वृद्धि।	0	0	0	0	—	प्रदेश के एमएसएमई उत्पादों व हथकरघा बुनकर शिल्पियों को विपणन के अवसर उपलब्ध कराते हुये आय मे वृद्धि।	वर्षान्त तक
55.	4851—103—हरि प्रसाद टम्टा पारम्परिक शिल्प उन्नयन संरक्षण	परम्परागत शिल्पों के सरंक्षण, संवर्द्धन, प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण के साथ—साथ शोध आदि कार्यों हेतु संरक्षण की स्थापना।	0	0	1	1	संस्थान की स्थापना द्वारा राज्य के परम्परागत शिल्पों के सरंक्षण, संवर्द्धन, प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण के साथ—साथ शोध आदि कार्य।	शिल्पियों को कौशल अभिवृद्धि, डिजाइन विकास तथा शिल्पियों का व्यवसायिक उत्पादन द्वारा आय मे वृद्धि के साथ—साथ उनके शिल्प की पहचान प्रदेश से बाहर बनाने हेतु।	वर्षान्त तक
	योग:-		0	1100.00	114	114			
56.	4885 उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय 01—औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं में निवेश 190—सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपकरणों में निवेश 09—भूमि क्रय		0	0	1	1	—	—	—
	योग(अनुदान संख्या-23):-		32097.13	1100.00	115	115			

अनुदान संख्या—30
(स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान)

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1–4–2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3.2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकलित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2023–24	परिकलित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2023–24	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
1.	उत्तरांचल हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद को सहायता	प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति के हथकरघा, हस्तशिल्पियों के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न प्रचार-प्रसार व मार्केटिंग की सुविधा प्रदान करना।	20.00	0	1	1	प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन शिल्पियों एवं बुनकरों को उन्नत तकनीक एवं डिजाइन समावेश पर दक्ष किया गया। विभिन्न मेलों एवं प्रदर्शनियों के द्वारा प्रदेश के शिल्पियों एवं बुनकरों को विपणन सहायता उपलब्ध कराई गई।	1–डिजाइन/उत्पाद विकास 2–शिल्पों का संवर्द्धन 3–क्रेडिट लिंकेज 4–विपणन सहायता 5–स्वरोजगार के अवसर 6–पर्यटन से लिंकेज	वर्षान्त तक
		योग:-	20.00	0	1	1			

अनुदान संख्या—31
(ट्राईबल सब प्लान)

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1—4—2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.3.2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटपुट वर्ष 2023—24	परिकल्पित (प्रोजैक्टेड) आउटकम 2023—24	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
1.	उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद को सहायता	प्रदेश के जनजातियों के हथकरघा, हस्तशिल्पियों के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न प्रचार-प्रसार य मार्केटिंग की सुविधा प्रदान करना।	10.00	0	1	1	प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन शिल्पियों एवं बुनकरों को उन्नत तकनीक एवं डिजाइन समावेश पर दक्ष किया गया। विभिन्न मेलों एवं प्रदर्शनियों के द्वारा प्रदेश के शिल्पियों एवं बुनकरों को विपणन सहायता उपलब्ध कराई गई।	1—डिजाइन/उत्पाद विकास 2—शिल्पों का संवर्द्धन 3—क्रेडिट लिंकेज 4—विपणन सहायता 5—स्वरोजगार के अवसर 6—पर्यटन से लिंकेज	वर्षान्त तक
2.	थारू बोक्स एवं अन्य जनजातियों की महिलाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना	हथकरघा एवं हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्य कर रही थारू, बोक्सा एवं अन्य जनजातियों की महिलाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन प्रदान करना।	50.00	0	75	140	हथकरघा एवं हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्य कर रही थारू, बोक्सा एवं अन्य जनजातियों की 100 महिलाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन प्रदान की जायेगी।	हथकरघा एवं हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्य कर रही थारू, बोक्सा एवं अन्य जनजातियों की महिलाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन प्रदान करना।	वर्षान्त तक
		योग:-	60.00	0	76	141			

सतत विकास लक्ष्यों हेतु प्रारूप

क्र0सं0	SDG संकेतक	1–4–2022 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31–3–2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2023–24	परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2023–24
क्लस्टर विकास योजना	Goal -8	—	3	SPV formation 200 units, CFC established-5, Capacity building for 500 workers	Better wages for workers, Skill upgradation and Value added products
प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता योजना	Goal -8, 9	233	432	100 New MSME setup, 500 Self employment, 100 new MSME Credit Linkage	Economic development of the State, Promotion of entrepreneurship and self employment in hilly regions, Reverse migration, Stable employment opportunities.
स्टार्टअप एण्ड स्टैण्डअप उद्यमिता विकास योजना	Goal -9	128	144	200 Startups, 8 Incubators	Development of Startup ecosystem in the State.
ईज आफ डूइंग बिजनेस	Goal -8, 9	301	352	investuttarakhand.uk.gov.in	Achieving EoDB in Uttarakhand
ग्रोथ सेन्टर की स्थापना	Goal-8	112	112	SHG formation-100, CLF-40, Growth Centre-25, Self Employment-1000	Better wages for workers, Skill upgradation and Value added products
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	Goal -8, 9	4874	6000	6000 entrepreneurs to be supported	Livelihood generation. supporting reverse migrants under the pandemic situation